न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/22/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/171

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्रीमती उषादेवी पत्नि स्व. श्री रामसिंह राजपूत, नि. ग्राम–पीलवा, पो. भजेड़ा, तहसील व जिला–अलवर (राज.)–301028		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 14.12.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर Gun license हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांकः 13.01.2016 के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 09.03.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। उक्त नोटिस के अनुक्रम में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्रांकः 1105 दिनांकः 05.05.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपीलान्तर्गत उठाये गये तथ्यों एवं प्रत्यर्थी द्वारा पेश जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना संधारित करने वाले अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को इस आशय की सूचना प्रेषित की गई है कि प्रश्नगत अभिलेख नवीन मिनी सचिवालय भवन में स्थानान्तरित हो जाने के कारण पत्रावली तलाश कर सूचना शीघ्र उपलबध कराने बाबत सूचित किया गया है।
7. इस प्रकार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।
8. प्रत्यर्थी उनके नियंत्रणाधीन संबंधित अनुभाग से वांछित सूचना अभिलेख उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 01 माह में तलाश कराया जाकर यदि उक्त अधिनियम या अन्य प्रचलित नियमों के आलोक में देय हो तो नियमानुसार अधिप्रमाणित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को प्रेषित की जावे अन्यथा स्थिति में तदनुसार सूचित करें।
9. आज दिनांकः 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)